न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 54/2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/14)

1. अली मोहम्मद पुत्र श्री नूरदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 6 ढीलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. फजलदीन पुत्र मंगतू खां निवासी वार्ड नम्बर 11 ढीलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. हुसैन पुत्र सराजुदीन निवासी वार्ड नं. 7 ढीलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नवाब खां पुत्र गफूर खां जाति मुसलमान निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री मदन सुरोलिया – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय **दिनांकः 17.10.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के निर्णय दिनांक 19.09.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के वाद संख्या 158/2024 अनवान नवाबखां बनाम स्टेट के निर्णय दिनांक 19.09.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 19.09.2024 को खारिज करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नवाब खां ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज करने का आदेश देने का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.09.2024 प्राकृतिक न्याय के विरूद्व एवं अपीलान्ट की गैर हाजरी में इकतरफा तौर पर पारित किया गया है। उक्त विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 1 को अपने दादा जीवन खां से प्राप्त हुई है जो दादालाई सम्पत्ति है। कादर खां के दो लड़के रमज्यानी व नबीकक्श हुए। रमज्यानी के एक लड़का जीवन खां जो फौत हो गया है जिसके दो लड़के गले खां उर्फ बुले खा व गफूर खां है। गले खां के 6 लड़के व गफूर खां के 4 लड़के जमाबंदी के अनुसार है। नबीबक्श के फौत होने पर माने खां व फूसा खा दो लड़के हुए। माना खां के 7 लड़के व एक फौत होने पर उसके चार वारिस हुए फुसा खां फौत हो गया है जिसके 3 लड़के है मंगतु खा के 4 लड़के तथा सराजुदीन के 3 लड़के व नूरदीन के 4 लड़के जो जमाबंदी मे दर्ज अनुसार है। वाद भूमि पुरानी पर्चा खतौनी के अनुसार जीवन खां का निस्फ हिस्सा व माने खा, फुसा खां के निस्फ हिस्सा दर्ज था लेकिन राजस्व रिकार्ड पर्चा खतौनी के बाद की जमाबंदियो में जीवन खां को माने खा फसे खा के बराबर 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज कर दी जो कतई गलत दर्ज किया गया था। सजरा खानदान से स्पष्ट है कि कादर खां के वारिसान मे जीवणा खां 1/2 हिस्सा तथा माने खा व फुसा खा 1/2 हिस्सा दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु सहबन से गलत तौर से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया गया। वादगत भूमि का बैयनामा दिनांक 26.07.1972 को गले खां व गफूर खां ने 4 बीधा भूमि का बैयनामा सराजुदीन, मंगतु व नूरदीन के वारिसान का 1/2 हिस्सा व युसुफ खां, मांगे खां बनवारी, सफी, सदीक मुन्शी खा फरीद खा पित्र माने खां का 1/2 हिस्सा भूमि का तस्दीक करवाया गया था। अब भी इनके वारिसो के नाम 2.04 बीधा भूमि अधिक दर्ज है जो राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज है। अदालत मातहत ने माना है कि पर्चा खतौनी में रेस्पोडेन्ट नं. 1 नवाब खां के पूर्वज जीवन खां एवं माने खां, फूसे खां पिसरान नबीबक्श का निष्फ हिस्सा दर्ज थी किन्तु आगामी जमाबंदियो मे जीवन खां माने खां, फूसे को 1/3 –1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत हुआ है। अपीलान्ट के हिस्सा कसी न करके गलत हिस्सा कसी करके भूमि कम दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में सुनवाई एवं सबूत पेश करने का अवसर दिया जाता तो वह सबूत पेश करता। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट नं. 1 के द्वारा पेश की गई हिस्सा कस्सी को सही मानते हुए अपीलान्ट को बिना सुने जो आदेश पारित किया है वह कतई गलत एवं खिलाफ कानून है और खारिज किये जाने योग्य है। आराजी जैर अपील रकबा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 का सामलाती खाते का रकबा है और सामलाती खाते मे अदालत मातहत के द्वारा जो रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया गया है। अपीलान्ट हितबद्व एवं प्रभावित व्यक्ति है। अतः अपील को इल्म से अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.09.2024 को खारिज किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कादर खां की जायदाद थी, जिसके दो वारिस थे, रमज्यानी एव नबीबक्स दोनो का 1/2 –1/2, रमज्यानी को 1/2 मिला नबीबक्स को 1/4 –1/4 रिकार्ड में तीनो का 1/3 –1/3 कर दी गई। 4 बीधा जमीन बेच दी, जिसने बेची है उसका हिस्सा कम होगा। सभी के हिस्से प्रभावित नही होगे केवल जिसने बेची या खरीदी उनका ही हिस्सा प्रभावित होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिसका गलत हिस्सा दर्ज हुआ है उसी को ही दुरूस्त किया गया है जो सही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं **अधीनस्थ** न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 19.09.2024 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 17.01.2025 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 28.12.2024 को हुई, तथा जिसकी नकल तैयारी हेतु दिनांक 01.01.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद तैयारी दिनांक 02.01.2025 को प्राप्त हुआ। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया था उसे बिना सुने व बिना नोटिस दिये सामलाती खाते का रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट हितबद्व व प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करनी की इजाजत दी जाये। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

8. पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वादगत भूमि की रिकॉर्ड में दुरूस्ती बिना विस्तृत जांच व अपीलान्ट्स/हितबद्व पक्षकारान की सुनवाई के किया गया है, जो कि न्यायोचित नही है। उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में विधिवत जांच व उभय पक्ष/हितबद्व पक्षकारान की सुनवाई की जाकर नियमानुसार निस्तारण करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर